राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी निरोध में जेल से पेश की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पचौरी उप0।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है। उपार्पण तर्क श्रवण किये गये।

प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा द्वारा अपराध कमांक 68/17 अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं के अधीन अभियोग पत्र आरोपी महेशसिंह कुशवाह पुत्र दाताराम कुशवाह उम्र 42 वर्ष निवासी स्टेशन रोड गोहद चौराहा के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भा.द.सं के विचारण के पर्याप्त तथ्य विद्यमान है जो अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है अतः धारा 209 द.प्र.सं के अधीन प्रकरण माननीय सत्र न्यायायलय भिण्ड में उपार्पित किया जाता है।

आरोपी को द.प्र.स. की धारा 207 के अंतर्गत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की निःशुल्क प्रतियां प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में एफ.एस.एल. रिपोर्ट संलग्न है।

प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में हैं अतः सब जेलर गोहद को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत दिनांक पर प्रातः 11:00 बजे आरोपी को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित रखे। उक्त संबंध में जेल वारण्ट पर टीप अंकित की जावे। उपार्पण की सूचना नायब नाजिर मालखाना, जिला लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड एवं थाना प्रभारी गोहद चौराहा को प्रेषित की जावे।

प्रपत्र माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित किया जावे।

> सही / — (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद